(56)

न्यायालय श्रीमान राजस्व कमिश्नर महोदय उज्जैन कैम्प मंदसौर

प्र0क0 / 15 अपील
अपील 13888-III-15

कचरूलाल पिता सीताराम कुल्मी उम्र 75 साल
निवासी ग्राम बालागुडा तहसील मल्हारगढ जिला मंदसौर ....अपीलांट

बनाम

रविन्द्र पिता हिरालाल पाटीदार उम्र 46 साल धंधा खेती
निवासी बालागुडा तहसील मल्हारगढ जिला मंदसोर ....रिस्पोडेन्ट

अपील तहत धारा 44(1)म0प्र0भु0रा0संहिता 1959
बनाराजी आदेश दिनांक 6.10.15 प्र0क0 4बी121/2014–15
(कचरूलाल वि0 रविन्द्र)न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय मल्हारगढ जिला मंदसौर के द्वारा पारीत आदेश से असंतुष्ट होकर अपील समयावधि में पेशहै।

R.M.
श्री एस.के. त्रिवेदी,
अभि० द्वारा प्रस्तुत।
26/11/2015
O.S.

क्रमांक 1522
रजिस्टर्ड ... आज
दिनांक ... प्राप्त
26-11-15
राजस्व ... लेयर

माननीय महोदय,

अपीलांट की ओर से निम्न अपील ज्ञाप पेश है :–

//प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य //

1. यह कि,ग्राम बालागुडा तहसील मल्हारगढ स्थित भुमि सर्वे नंबर 881 रकबा 0.09 भुमि के संबंध में एक आवेदन पत्र जनसुनवाई में प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत किया गया । जो जांच हेतु मुख्य कार्यपालिका जनपद पंचायत मल्हारगढ को भेजा गया जनपद अधिकारी पंचायत मल्हारगढ के द्वारा विवादित स्थल का निरीक्षण कर जांच की गयी। तहसीलदार महोदय मल्हारगढ से विधिवत रूप से जांच प्रतिवेदन बुलवाया गया। ततपश्चात उभय पक्ष को सुनने के पश्चात विपक्षी कमांक 1 के पक्ष में ग्राम पंचायत बालागुढा के द्वारा जो पट्टा विपक्षी कमांक 1 को दिया गया था उसको दिनांक 22.8.2013 को निरस्त कर दिया गया। जिसके विरूद्ध रिस्पोडेन्ट कमांक 1 के द्वारा अपील न्यायालय अपर आयुक्त महोदय उज्जैन के समक्ष प्रस्तुत की गयी । जो अपील प्र0क0 100/13–14 में दर्ज की गयी । ओर उभय पक्ष को सुनने के पश्चात् विपक्षी कमांक 1 के द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 25.11.14 को निरस्त कर दी गयी। ततपश्चात् प्रार्थी के द्वाराएक आवेदनपत्र न्यायालय अनुविभागीय महोदय मल्हारगढ के समक्ष प्रस्तुत किया गया कि विपक्षी कमांक 1 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त महोदय उज्जैन अपील निरस्त कर दी गयी है तो ग्राम पंचायत के मार्फत विवादित भुमि पर विपक्षी कमांक 1 के द्वारा जो अवैध निर्माण कर लिया है उसको हटाया जावे। प्रार्थी के आवेदन पत्र पर विपक्षी को अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा तलब किया गया । और दिनांक 6.10.2015 को अवैध रूप से आदेश पारीत किया गया जिससे असंतुष्ट होकर आदरणीय न्यायालय के समक्ष यह निगरानी आवेदन पेश करना आवश्यक हुआ है। उपरोक्त कारणों के अलावा निम्न आधार पर यह अपील ज्ञाप पेश है ।

निरन्तर पेज 2 पर.............

अ 3888-III/15 जिला अल्मोड़ा

16.2.16	आवेदक अधि० श्री आलोक शास्त्री ने उपस्थित होकर बताया कि यह ~~[illegible]~~ अपील त्रुटिवश इस न्यायालय में पेश हो गई है जबकि आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत होनी थी, अतः सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु अपील वापस प्रदान की जाये। अपील का अवलोकन किया। विचारोपरान्त आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील आवेदन सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वापस किया जाता है। [signature] सदस्य	[signature]